नगरपालिका, नीमकाथाना (विवाह स्थल का पंजियन) उपविधियां, 2015

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2009) की धारा 339 (ख) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका, नीमकाथाना एतद्द्वारा निम्न उपविधियां स्वीकृत करती हैं:–

नगरपालिका नीमकाथाना (विवाह स्थल का पंजियन) उपविधियां, 2015

1. **शीर्षक, सीमा एवं प्रभावः–**

(क) ये उपविधियां नगरपालिका नीमकाथाना (विवाह स्थल का पंजियन) उपविधियां, 2015 कहलायेंगी।
(ख) ये उपविधियां नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक दिंनाक 11.02.2015 की स्वीकृति दिनांक से प्रभावशील होंगी।
(ग) ये उपविधियां नगरपालिका, नीमकाथाना की समस्त सीमा में प्रभावशील होंगी।

2. **शाब्दिक परिभाषाए:–** जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न हो, इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार व्यवहृत होगीः–

(a) अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2009) से है।

(b) समिति से तात्पर्य नगरपालिका नीमकाथाना द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 के अंतर्गत समिति से है।

(c) स्थानीय निकाय से तात्पर्य नगरपालिका नीमकाथाना से है।

(d) अनुमति प्राप्तकर्ता से अभिप्रेत इन उपविधियों के अंतर्गत विवाह स्थल पंजियन की अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है, इसमें इनका अभिकर्ता, प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित होगा।

(e) ''**अध्यक्ष**'' से तात्पर्य नगरपालिका, नीमकाथाना के अध्यक्ष से है।

(f) ''**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**'' से तात्पर्य नगरपालिका, नीमकाथाना के अधि ाासी अधिकारी से है।

(g) **प्राधिकृत प्राधिकारी** से तात्पर्य स्थानीय निकाय के अधि ाासी अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये प्राधिकृत अधिकारी से है जो सहायक निरीक्षक नगरपालिका, नीमकाथाना से है ।

(h) **विवाह स्थल** से तात्पर्य नगरपालिका नीमकाथाना सीमा क्षेत्र में स्थित ऐसे समस्त भूखण्डों/फार्मों/सामुदायिक केन्द्रों/भवनो/क्लबों/बैंक्वेट हॉल, होटल, रिसोर्ट इत्यादि से है जो सगाई, शादी, जन्म दिवस एवं अन्य प्रकार के सामाजिक समारोह/उत्सव/प्रदर्शनी/कन्वेशन/गरबा उत्सव/नववर्श आयोजन इत्यादि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाते है।

(i) ऐसे भूखण्ड/भवन, जिनका रूपांतरण/आवंटन, व्यावसायिक/पर्यटन/संस्थानिक प्रयोजनार्थ किया गया है परन्तु आवंटन की शर्तो में भुखण्ड/भवन का उपयोग, उपविधि 2 के खण्ड (h) में दर्शाये गये विभिन्न सामाजिक प्रयोजनार्थ को सम्मिलित नहीं किया गया है तो ऐसे समस्त भूखण्डधारी/भवन मालिक को ''विवाह स्थल'' पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क दिया जाना अनिवार्य होगा।

(j) प्रपत्र से तात्पर्य इन उपविधियों के साथ संलग्न प्रपत्र से है जो शब्द यहाँ परिभाशित नहीं किये हैं, उनके संबंध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में दी गई परिभाषाएं लागू होंगी।

3. **निषेद्धः–** स्थानीय निकाय की सीमा में कोई व्यक्ति, संस्थान, कम्पनी इत्यादि, स्थानीय निकाय की अनुमति प्राप्त किये बिना, किसी भी स्थान का, विवाह स्थल अथवा अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं कर सकेगा। वर्तमान में स्थापित विवाह स्थलों के संबंध में प्रत्येक वर्श की 31 मार्च से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर नगरपालिका, नीमकाथाना से अनुमति प्राप्त करनी होगी अन्यथा अवैध मानकर कार्यवाही की जायेगी।

लगातार............2

4. **अनुमति प्राप्त करने की प्रणालीः–** कोई भी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी जो स्थानीय निकाय सीमा में स्थित भूखण्ड/भवन/फार्म हाउस का उपयोग विवाह स्थल/अन्य प्रयोजनार्थ करना चाहता है अथवा इन उपविधियों के प्रभावी होने से पहले ही स्थल का उपयोग उपरोक्त प्रयोजनार्थ किया जा रहा है तो उसेः–

(a) निर्धारित प्रपत्र 'क' में आवेदन करना होगाः–

(b) विवाह स्थल का कम्प्यूटराईज्ड ले–आउट प्लान संलग्न करना होगा तथा उसके संबंध में निम्न विवरण देना अनिवार्य होगाः–

लगातार............2

(क) भवन विनियमों में निर्धारित अग्निशमन यंत्रो की व्यवस्था।
(ख) आवेदित स्थल की कुल व्यक्तियों की समाहित करने की क्षमता।
(ग) कचरा संग्रहण एवं गंदे पानी के निकास की स्वंय की व्यवस्था।
(घ) बिजली–पानी तथा इमरजेंसी लाइट की पर्याप्त व्यवस्था।
(ड़) वाटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था के अंतर्गत अब 300 वर्गमीटर से कम पक्का निर्मित भवन से कम में वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी।
(च) आवेदन–पत्र के साथ विवाह स्थल के आवेदित भूखण्ड का कोई कर (गृहकर, नगरीय विकास कर, लीज इत्यादि) बकाया नहीं होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(c) संबंधित भूखण्ड के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज की प्रति।

(d) यदि उपयोगकर्ता किरायेदार है तो उसे स्थल के मालिक से लिखित में हुए इकरारनामा एवं एम.ओ.यू. /अन्य कानूनी दस्तावेज, जिसके तहत निर्धारित स्थल का उपयोग किया जा रहा है, की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी एवं विवाह स्थल की अधिसूचना (भूखण्ड/भवन मालिक की सहमति सहित) के अतंर्गत निर्धारित शर्तो का उसके द्वारा अक्षरशः पालन किया जावेगा, इस हेतु 10/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(e) आवेदक को आवेदन–पत्र के साथ निम्नांकित आशयों का रू. 10/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि–

(अ) ध्वनि विस्तार यंत्रो का प्रयोग के संबंध में उपविधि संख्या 8(d) की पालना की जावेगी।
(ब) विवाह स्थल पर यातायात को बाधित होने से रोकने के लिए निर्धारित संख्या के अनुसार गार्ड लगाए जाने के संबंध में उपविधि संख्या 11 की पालना की जावेगी।
(स) विवाह स्थल पर आयोजन से उत्पन्न कचरा एवं अपशिष्ट पदार्थ अलग–अलग पॉलिबैग में पेक करके स्वयं द्वारा निस्तारण की व्यवस्थ करनी होगी।

समस्त वांछित औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् स्थानीय निकाय के अधि ाासी अधिकारी द्वारा, आवेदन की जांच की जाकर अनुमति दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने का निर्णय लिया जाकर आवेदनकर्ता को 30 दिवस में सूचित किया जा सकेगा। नगरपालिका के अधि ाासी अधिकारी प्रशासनिक निर्णय लेकर लाईसेंस देने की ऑनलाईन प्रक्रिया लागू कर सकेंगे। ऐसी दशा में आवेदक, प्रार्थना–पत्र के साथ सभी औपचारिक दस्तावेज एवं फीस अदायगी की रसीद प्रस्तुत करेगा। फीस अदा होने के 30 दिवस में अधि ाासी अधिकारी आगे की जॉच कर विवाह स्थल की स्वीकृति/अस्वीकृति देगा। अस्वीकृति होने की दशा में कारण बताओ नोटिस जारी कर आवेदक को सुनेगा और सुनकर यथोचित आदेश जारी करेगा। आवेदन अस्वीकृत होने की दशा में जमा शुल्क लौटाया नहीं जावेगा। किन्तु आवेदन अस्वीकार होने की दशा में यदि आवेदनकर्ता द्वारा चालू वितिय वर्श में स्थल का विवाह स्थल के रूप में उपयोग नहीं किया गया है तो 5000/– रू. प्रोसेसिंग शुल्क जमा कर शेश राशि लौटा दी जावेगी।

5. **भूमि/भवन स्वामित्व की जांचः–** यदि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन–पत्र में वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हों या वांछित दस्तावेज जांच में सही नहीं पाये जावे जो उपविधि 4 के अन्तर्गत आते है, तो प्राप्त आवेदन–पत्र को अधि ाासी अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा। किन्तु आवेदन अस्वीकार होने की दशा में यदि आवेदनकर्ता द्वारा चालू वितिय वर्श में स्थल का विवाह स्थल के रूप में उपयोग नहीं किया है तो 5000/– रू. प्रोसेसिंग शुल्क जमा कर शेष राशि लौटा दी जावेगी। आवेदनकर्ता को आवेदन–पत्र अस्वीकार करने का कारण स्पष्ट करते हुए लिखित में सूचित करना आवश्यक होगा।

6. **अपीलः–** विवाह स्थल के लिए आवेदनकर्ता के आवेदन को अधि ाासी अधिकारी द्वारा किसी कारण अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अस्वीकार–पत्र जारी करने के 30 दिवस में इसकी अपील राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 में गठित नियम उपनियम समिति में की जा सकेगी तथा समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

लगातार............3

7. **आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने की समय सीमाः** स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन–पत्र प्राप्त होने की 30 दिवस की अवधि में आवेदनकर्ता को स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

लगातार............3

8. **प्रतिबंधित क्षेत्रः–**

(a) ऐसे स्थान पर जहां पर अस्पताल, रात्रिकालीन शिक्षण संस्थाऐं या अन्य इस प्रकार की संस्था चालू हो तथा विवाह स्थल की अनुमति दिये जाने पर शिक्षण कार्य में बाधा आती हो, वहां पर विवाह स्थल की अनुमति नहीं दी जा सकेगी

(b) विवाह स्थल का संचालन चिकित्सालय से 100 फीट की परिधि में प्रतिबंधित होगा।

(c) राज्य सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों पर अथवा राज्य सरकार की पूर्वानुमति पर स्थानीय निकाय सुरक्षा व जन असुविधा का ध्यान रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर सकती है।

(d) निर्धारित समय रात्रि 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रो का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस बाबत् विवाह स्थल पर इस संबंध में बोर्ड लगाना होगा। जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि यंत्रो के संबंध में जारी निर्देशों/प्रतिबंधों की पूर्णपालना करनी होगी।

9. प्रत्येक विवाह स्थल पर विवाह या अन्य आयोजन के दिन विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारी को स्वयं के खर्चे पर विवाह स्थल के बाहर निम्नानुसार गार्डों की व्यवस्था करनी होगी।

(i)	1500 व.मी. से कम के विवाह स्थल के लिए	–	2 गार्ड
(ii)	1500 से 5000 व.मी. तक के विवाह स्थल के लिए	–	3 गार्ड
(iii)	5000 व.मी. से अधिक के विवाह स्थल के लिए	–	4 गार्ड

10. विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारी, कचरा व अपशिष्ट पदार्थो (ठोस अथवा तरल) को निगम के कचरा डिपो के पास, विवाह स्थल के आसपास या बाहर सड़क पर नहीं डालेंगे यदि इसका उल्लंघन करते है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूल किया जावेगा।

11. **विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) पंजीयन एवं अनुमति शुल्कः–**

(अ) इन उपविधियों के अन्तर्गत विवाह स्थल पर क्षेत्रफल के अनुसार पंजीयन शुल्क एक बार में ही निम्न प्रकार से देय होगा होगाः–

(a)	1000 व.मी. तक के विवाह स्थल	20,000/–रू. वार्शिक।
(b)	1000 व. मी. से अधिक 2500 व.मी. तक के विवाह स्थल	30,000/–रू. वार्शिक।
(c)	2500 व.मी. से अधिक 5000 व.मी. तक के विवाह स्थल	40,000/–रू. वार्शिक।
(d)	5000 व.मी. से अधिक के विवाह स्थल	50,000/–रू. वार्शिक।

नोटः– **उपरोक्त शुल्क वार्शिक ना होकर एकमुश्त होगा किन्तु प्रतिवर्श पंजियन का नवीनीकरण किया जावेगा जो कि बिन्दु सं. 11 (स) के अनुसार भाुल्क देय होगा ।**

(ब) विवाह स्थल उपयोग शुल्क, क्षेत्रफल के अनुसार प्रति वर्श निम्न प्रकार से देय होगा होगाः–

(a)	1000 व.मी. तक के विवाह स्थल	10,000/–रू. वार्शिक।
(b)	1000 व. मी. से अधिक 2500 व.मी. तक के विवाह स्थल	20,000/–रू. वार्शिक।
(c)	2500 व.मी. से अधिक 5000 व.मी. तक के विवाह स्थल	30,000/–रू. वार्शिक।
(d)	5000 व.मी. से अधिक के विवाह स्थल	40,000/–रू. वार्शिक।

(स) विवाह स्थल के उपयोग का नवीनीकरण शुल्क प्रतिवर्श 1000/–रू. साधारण आवेदन पत्र के साथ जमा कराने के उपरान्त किया जावेगा।

(द) उपरोक्त (अ) व (ब) शुल्क वितिय वर्श के अनुसार देय होंगे यदि विवाह स्थल वितिय वर्श के मध्य में स्थापित किया जाता है तो भी पूरे वर्श का शुल्क देय होगा।

लगातार............4

उपरोक्त विवाह स्थिल पंजीयन शुल्क एवं विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति शुल्क, नगरीय निकाय को देय किसी भी अन्य शुल्क कर इत्यादि के अतिरिक्त होगा।

नोटः– **किन्तु आवेदन अस्वीकार होने की दशा में यदि आवेदनकर्ता द्वारा चालू वितिय वर्शमें स्थल का विवाह स्थल के रूप में उपयोग नहीं किया है तो 5000/– रू. प्रोसेसिंग शुल्क जमा कर शेष राशि लौटा दी जावेगी।**

लगातार............4

12. नगरपालिका नीमकाथाना को उपरोक्त सभी दरों में प्रत्येक तीन वर्श पश्चात् शुल्क वृद्धि करने का अधिकार होगा।

13. **नवीनीकरणः–** अनुमति प्राप्तकर्ता को प्रत्येक 1 वर्श के पश्चात् विवाह स्थल पंजीयन नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए अनुमति प्राप्तकर्ता को आवेदन करना होगा, परन्तु–

(क) विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) अनुमति शुल्क पूर्ण वितिय वर्श के लिए देय होगा यदि वितिय वर्श के मध्य में समारोह स्थल स्थापित किया जाता है तो भी अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा पूरे वर्श का शुल्क देना अनिवार्य होगा।

(ख) 01 फरवरी से 31 मार्च की अवधि में स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत विवाह स्थलों द्वारा अग्रिम वितिय वर्श हेतु देय शुल्क जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा यदि उपरोक्तानुसार शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है तो प्रथम तीन माह तक देय कुल शुल्क की राशि पर 10 प्रतिशत शास्ति एवं तत्पश्चात् प्रतिदिन के विलम्ब पर 50/–रू. विलम्ब शुल्क के रूप में अतिरिक्त शुल्क शास्ति के रूप में देय होगा।

14. **विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) का अनुमति पत्र निम्न शर्तों के अध्यधीन होगाः–**

(क) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल के चारों ओर सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रबंध किए जावेंगे।

(ख) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल के संबंध में आवश्यक हिदायतें व सूचनाएं पंजीकरण संख्या, रसीद संख्या, जमा राशि, निगम द्वारा जारी शर्ते परिसर के बाहर **6 X 4** फीट का बोर्ड लगाकर अंकित की जावेगी। इनका निर्धारण स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेगा।

(ग) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा राज्य सरकार/जिला प्रशासन/नगरपालिका द्वारा समय–समय जारी आदेशों/निर्देशों की पालना करनी होगी।

(घ) विवाह स्थल अनुमति पत्रधारी को कचरा एवं अपशिश्ट पदार्थों (ठोस व तरल दोनो) को अलग–अलग पॉलीबेगस् में पैक करवाकर निस्तारण स्वयं को करना होगा। विवाह स्थल अनुमति पत्रधारी कचरा व अपशिष्ट पदार्थों को निगम के कचरा डिपो के पास, विवाह स्थल के आस–पास या बाहर सड़क पर नहीं डालेंगे, यदि इसका उल्लंघन करते हैं तो उनकके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूल किया जावेगा।

(ड़) केन्द्र/राज्य सरकार के ध्वनी/वायु प्रदूषण एवं अन्य संबंधी नियमों/अधिनियमों की पालना अनुज्ञापत्रधारी द्वारा की जावेगी।

15. **अभियोजनः–** नगरपालिका नीमकाथाना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो सहायक निरीक्षक से कनिष्ठ पद का नहीं होगा, विवाह स्थल का निरिक्षण कर सकेगा। यदि उपयोग एवं उपभोग में निर्देशित शर्तों उपविधियों का उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 10 दिवस में पूर्ति करने हेतु अनुमति प्राप्तकर्ता को सूचित किया जावेगा, यदि नियत अवधि में अनुमति प्राप्तकर्ता पालना नहीं करता है तो अनुमति–पत्र पालिका द्वारा निरस्त किया जावेगा तथा विवाह स्थल सम्पति को सीज किया जाकर दोषी व्यक्ति, संस्था एवं कम्पनी के विरूद्ध अभियोजन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही पालिका द्वारा प्रारम्भ की जा सकेगी।

16. **समझौताः–** न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को वापस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 में गठित समिति या नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत समिति/अधिकारी को होगा।

17. **उपविधियों का उल्लंघनः–** इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन पाया जाने पर पालिका द्वारा 2000/– रू. का अर्थदण्ड दिया जाकर उपविधि सं. 14 के अंतर्गत कार्यवाही अनुमति प्राप्तकर्ता के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी।

लगातार............5

18. **अर्थदण्ड की राशि को स्थानीय कोष में जमा करवानाः—** अर्थदण्ड की धनराशि अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार नगरपालिका कोष में जमा करवाई जाकर प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

19. **अवैध विवाह स्थलों का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाहीः—** यदि किसी संस्थान अथवा व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के स्थानीय निकाय सीमा में विवाह स्थल विद्यमान अथवा शुरु किया जाता है तो उसे स्थानीय निकाय द्वारा अवैध मानकर हटाया/सीज किया जा सकेगा एवं अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।

20. उपविधियों की किसी भी शर्तों का उल्लंघन करने पर विवाह स्थल को सीज करने का अधिकार अधिशाशी अधिकारी को, अध्यक्ष की पूर्व लिखित सहमति से होगा एवं इसकी अपील 30 दिवस में अध्यक्ष के जरिये नगरपालिका मण्डल की कार्यपालक समिति को की जा सकेगी। समिति दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करेंगी।

21. **जनरेटर रूम की व्यवस्थाः—** नगरपालिका नीमकाथाना क्षेत्र में स्थित विवाह स्थलों में जनरेटर सेट इस प्रकार लगाने होंगे, जिससे आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो एवं उससे किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो।

22. **सार्वजनिक स्थानों के सामाजिक समारोह हेतु उपयोग पर रोकः—** स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्थित विकास समिति एवं गृह निर्माण एवं मौहल्ला विकास समिति द्वारा जो स्थान सार्वजनिक पार्क हेतु छोड़े गये हैं उनका उपयोग विवाह स्थलों हेतु नहीं किया जावेगा, न ही उन्हें अनुमति–पत्र जारी किया जावेगा। उनका उपयोग जिस उद्दे य हेतु रखा गया है उसी उपयोग में लिया जा सकेगा।

23. **सामुदायिक केन्द्रों में विवाह स्थलों के उपयोग पर शुल्क राशि में छूटः—** भारत सरकार/राज्य सरकार के सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा निर्मित किये गये विवाह स्थलों जिनका संचालन भारत सरकार/राज्य सरकार के सरकारी/अद्धसरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा स्वयं के स्तर पर संचालन किया जा रहा है को उपविधि 11 में दर्शायी गयी दरों में छूट होगी।

24. **पार्किंग और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करनाः—** अनुमति प्राप्तकर्ता को पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर सुनिश्चित करनी होगी। यातायात के संबंध में स्थानीय निकाय एवं स्थानीय पुलीस द्वारा विवाह जुलूस को यातायात की सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित किया जा सकेगा। किसी क्षेत्र में सड़क विशेष पर विवाह जुलूस को अनुमति देने हेतु प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।

25. **विवाह स्थलों की भूमि का अन्य उपयोग पर प्रतिबंधः—** अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल की अनुमति प्राप्त होने के बाद अनुमति–पत्र की एक प्रति संबंधित पुलिस थाना व जिलाधीश को देनी आवश्यक होगी। स्थानीय निकाय द्वारा समाज के सामाजिक दायित्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दृष्टिगत रखते हुए विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) हेतु जारी अनुमति–पत्र किसी भी प्रकार की भू–उपयोग परिवर्तन की अनुमति या अंगीकार नहीं माना जावेगा। अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा भविश्य में संबंधित स्थल का भू–उपयोग परिवर्तन चाहने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भू–उपयोग परिवर्तन चाहने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर संबंधित उपविधियों के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकेगा।

26. **स्थानीय निकाय का सर्वाधिकार सुरक्षितः—** विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति–पत्र सें भूमि/भवन के स्वामित्व का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। स्थानीय निकाय द्वारा विवाह स्थल हेतु जारी अनुमति–पत्र की स्वीकृति को कारण स्पष्ट किये बिना निरस्त करने का अधिकार होगा। निरस्तीकरण पर स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।

लगातार............6

27. **वर्तमान में अवैध रूप सें संचालित विवाह स्थलों को विवाह स्थल अनुमति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में:–**
नगरपालिका नीमकाथाना के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नगरपालिका नीमकाथाना के परिधीय क्षेत्रों में वर्तमान में

संचालित विवाह स्थलों का सर्वेक्षण अधिसूचना जारी होने के 30 दिवस की अवधि में करवाया जाकर, सूची तैयार की जाकर उपविधि संख्या 11, 13, 14, 15, एवं 16 के तहत कर्यवाही की जावेगी।

28. **अनुमति प्राप्तकर्ता से शपथ–पत्र प्राप्त किया जानाः–** प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवाह स्थल की स्वीकृति जारी करने से पूर्व अनुमति प्राप्तकर्ता सें 10 रू. के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प–पत्र पर इस आशय का शपथ–पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा इन उपविधियों में वर्णित समस्त दिशा–निर्देशों को अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावेगी अन्यथा उसका उपयोग एवं उपभोग स्वतः निरस्त समझा जा सकेगा।

29. वर्तमान में पालिका में लंबित अतंरण के प्रकरण, सिवाय आवेदन शुल्क व सूचना के प्रारूप के अलावा अन्य सभी नियम लंबित प्रकरणों पर लागू होंगे तथा पालिका में प्रचलित नियमों के अनुसार ही निस्तारण होगा।

30. **निरसन और व्यावृतियांः–** इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् पूर्व में जारी आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियां निरस्त समझी जावेगी, लेकिन इस उपविधियों के प्रवर्तन में आने से पूर्व निरसित आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियों के तहत किया गया कोई कार्य उपविधियां प्रभावशील होने के कारण अवैध नहीं समझा जावेगा।

साधारण सभा की आज्ञा से।

लगातार............7

कार्यालय नगरपालिका, नीमकाथाना

विवाह स्थल उपयोग हेतु लाईसेंस प्राप्त करने बाबत् प्रार्थना–पत्र

प्रपत्र–''क''

1.	विवाह स्थल का नाम	:	....
2.	विवाह स्थल का पता	:	....
	....		
3.	आवेदक का नाम	:	....
4.	पता / दूरभाष नं. (कार्या / निवास / मोबाइल)	:	....
5.	भूखण्ड मालिक का नाम, पता व दूरभाश नं. (कार्या. / निवास / मोबाइल)	:	....
6.	विवाह स्थल का कुल क्षेत्रफल	:	....
7.	आवेदित स्थल की कुल व्यक्तियों के समाहित करने की क्षमता	:	....
8.	अग्निशमन के अनापति प्रमाण–पत्र के जमा शुल्क की रसीद नं. मय दिनांक की फोटोप्रति	:	....
9.	सफाई शुल्क जमा की रसीद नं. मय दिनांक की फोटोप्रति	:	....
10.	पंजियन जमा शुल्क की रसीद नं. मय दिनांक की फोटोप्रति		....
11.	अनुमति जमा शुल्क की रसीद नं. मय दिनांक की फोटोप्रति	:	....
12.	अन्य विवरण मय नक्शा विवह स्थल स्वामित्व तथा किरायेदारी संबंधी दस्तावेज	:	....

कृपया उपरोक्त विवाह स्थल का वर्श ....का अनुज्ञा–पत्र जारी करने का श्रम करावें।
दिनांक : ....

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम
पता / टेलीफोन नं.

लगातार............8

कार्यालय नगरपालिका, नीमकाथाना

प्रपत्र–''ख''

विवाह स्थल अस्थाई अनुज्ञा–पत्र वर्श ....

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ–पत्र आदि के आधार पर वितिय वर्श............................. के लिए निम्न भूखण्ड का उपयोग नगरपालिका नीमकाथाना (विवह स्थल पंजियन) संशोधन उपविधियां, 2012 के अंतर्गत विवाह स्थल के रूप में करने की अस्थायी अनुज्ञा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों की विवाह स्थल पर भौतिक जांच में सही पाए जाने के अध्याधीन दी जाती है। जिनकी जांच 30 दिवस में की जाकर सही पाये जाने पर पृथक से अस्थायी अनुज्ञा–पत्र जारी किया जाएगा।

1.	आवेदक का नाम	:	....
2.	पिता का नाम	:	....
3.	मालिक का नाम व पता	:	....
4.	दूरभाष नं. (कार्यालय / निवास / मोबाइल)	:	....
5.	विवाह स्थल का नाम एवं पता	:	....
6.	जोन का नाम जिनके क्षेत्र में है	:	....
7.	वार्ड नं.	:	....
8.	विवाह स्थल के बारे में विवरण	:	....
9.	वित्तिय वर्श	:	....
10.	निर्देश	:	....

नोटः– इस अनुज्ञा–पत्र का उपयोग भूखण्ड के स्वामित्व भू–उपयोग निर्धारण के लिए मान्य नहीं है।